न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 18/2024

प्रार्थी

पोसाराम पुत्र श्री भीखाजी, जाति– रेबारी, निवासी–वलदरा, तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्रीमती भूरीबाई पत्नी श्री भावाराम, जाति– रेबारी, निवासी– वलदरा, तहसील व जिला सिरोही
2. ग्राम पंचायत, सरतरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, सरतरा, तह. व जिला सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री रमेश माली, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) भूरीबाई की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 25–11–2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा श्री मोडाराम पुत्र श्री भावाराम रेबारी, निवासी– वलदरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 95 दिनांक 08–8–2013 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन, ग्राम पंचायत, सरतरा व मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी, निवासी– वलदरा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था, लेकिन निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी की मृत्यु हो जाने से प्रार्थी निगरानीकार द्वारा आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी मोडाराम के विधिक वारिसान के रुप में श्रीमती भूरीबाई पत्नी भावाराम जी रेबारी, निवासी– वलदरा को संयोजित किये जाने का अनुरोध किया गया। जिस पर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर मृतक अप्रार्थी मोडाराम के विधिक वारिसान के तौर पर अप्रार्थी भूरीबाई पत्नी भावाराम जी रेबारी, निवासी– वलदरा को संयोजित करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 (एक) भूरीबाई पत्नी भावाराम जी रेबारी की ओर से निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) भूरीबाई की ओर से जबाव प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री माली ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, सरतरा के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (एक) भूरीबाई के पुत्र मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी, निवासी– वलदरा के हक में पट्टा संख्या 95 दिनांक 08–08–2013 को 2660 वर्गफीट नाप का जारी करने में कानूनी एवं तथ्यात्मक त्रुटी की है। ग्राम पंचायत सरतरा ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों एवं नियमों की पूर्णतया अनदेखी कर उक्त पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, सरतरा ने उक्त पट्टा, राजस्थान पंचायती राज नियम,

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

1996 के नियम 157 (1) के तहत प्रारूप 23 (क) में जारी किया है, जो मात्र 200/– रूपये में मोडाराम पुत्र भावाराम जी के हक में जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे के पृष्ठ भाग में दर्शाए गये मानचित्र में पट्टा भूमि का क्षेत्रफल स्याही से चिन्हित होना बताया गया है एवं पट्टे का नाप उत्तर–दक्षिण 70 फीट पूर्व–पश्चिम 38 फीट कुल नाप 2660 वर्गफीट एवं सीमांकन अलग से वर्णित कर बताया गया है जबकि प्रश्नगत भूमि पर मौके पर 2660 वर्गफीट का कोई निर्मित भवन मौजूद नहीं है मौके पर मात्र 900 वर्गफीट का मकान निर्मित है एवं शेष भूमि खुली (Open Land) है। नियम 157 (1) के तहत निर्मित मकान का ही पट्टा जारी करने का प्रावधान विधि में है तथा खुली भूमि का पट्टा जारी करने का प्रावधान नहीं है, जिससे अलौच्य पट्टा किसी भी रूप में विधि सम्मत नहीं है। ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टे में वर्णित सीमांकन एवं दर्शित मानचित्र में भी भारी असमानताए परिलक्षित है पट्टे में वर्णित सीमांकन के अनुसार उत्तर दिशा में जीवाराम पुत्र सोमतीजी रेबारी का मकान स्थित है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि उत्तर दिशा में खाली पडत भूमि स्थित है। इसी प्रकार दक्षिण दिशा में अमृतलाल पुत्र समनाजी रावल का प्लोट स्थित है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि दक्षिण दिशा में खाली पडत भूमि स्थित है। पूर्व दिशा में खाली पडत भूमि वर्णित है एवं पश्चिम दिशा में कालन्द्री सरतरा सड़क वर्णित है जबकि पट्टे में दर्शित मानचित्र में पश्चिम दिशा में 7700 वर्गफीट खाली पडत भूमि के उपरान्त कालन्द्री–सरतरा सड़क होना बताया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे में जो चतुर्दशी दर्शित की गई है उस चतुर्दशी का कोई भूखण्ड मौके पर अस्तित्व में नहीं है व कोई मकान मौके पर स्थित नहीं है एवं खाली भूमि का पट्टा नियम 157(1) के तहत जारी करना कानूनन अवैध है। ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा जारी प्रश्गत पट्टे में वर्णित सीमांकन, नाप एवं दर्शित मानचित्र में एकरूपता नहीं है एवं असमानता स्पष्ट परिलक्षित है। ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा जारी आलोच्य पट्टे के पृष्ठ भाग में दर्शित मानचित्र में पट्टा भूमि के अलावा 7700 वर्गफीट बेशकीमती भूमि को पट्टा भूमि के पूर्व और उत्तर दिशा में मानचित्र के रूप में दर्शित कर बताया गया है जबकि ग्राम पंचायत को नियम 157 (1) के तहत इस तरह खाली भूमि (Open Land) को पट्टे में मार्क कर उसका मानचित्र बनाने का कोई हक नहीं है न ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है । प्रश्नगत पट्टे में दर्शित मानचित्र में वर्णित 7770 वर्गफीट खुली भूमि का जिला स्तरीय समिति के अनुसार बाजार मूल्य 9,78,954 रूपये है। इस प्रकार नियम 157 (1) के तहत जारी पट्टे की आड़ में खाली भूमि को पट्टे में मार्क कर उसका मानचित्र बनाकर तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा भारी राजस्व हानि कारित की है। उक्त पट्टे की कोई मिसल ग्राम पंचायत सरतरा में बनी हुई नहीं है एवं न ही प्रस्तावित विक्रय का नोटिस, भूमि नीलामी का नोटिस ग्राम पंचायत सरतरा द्वारा कभी जारी किया हुआ है तथा अन्य प्रावधानों की पालना भी ग्राम पंचायत सरतरा द्वारा नहीं की गई है, जिससे उक्त पट्टा काबिल खारिज है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा श्री मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी, निवासी– वलदरा के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के हक में जारी पट्टा संख्या 95 दिनांक 08–8–2013 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (भूरीबाई) के विद्वान अधिवक्ता श्री सोलंकी ने बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (भूरीबाई) के जबाव में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा अप्रार्थी भूरीबाई के पुत्र श्री मोडाराम पुत्र श्री भावाराम रेबारी, निवासी– वलदरा के हक में पट्टा संख्या 95 दिनांक 08–8–2013 को 2660 वर्गफीट नाप का जारी करने में किसी भी प्रकार की कानूनी या तथ्यात्मक त्रुटी नहीं की है, बल्कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा नियमानुसार व विधिवतरूप से मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी के हक में पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत,

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

सरतरा ने उक्त पट्टा, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) प्रारूप 23 (क) के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण कर जारी किया है तथा उक्त पट्टा नियमानुसार शुल्क 200/— रूपये प्राप्त कर जारी किया गया है। प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में उक्त पट्टे का नाप उत्तर—दक्षिण 70 फीट व पूर्व—पश्चिम 38 फीट बताया है जो गलत है, जबकि वास्तव है उक्त पट्टे के पृष्ठ भाग में अंकित नाप उत्तर—दक्षिण 38 फीट तथा पूर्व—पश्चिम 70 फीट दर्ज है तथा मानचित्र में भी उत्तर—दक्षिण 38 फीट तथा पूर्व—पश्चिम 70 फीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टे के पृष्ठ भाग में मानत्रित्र द्वारा मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी की पुश्तैनी कब्जेशुदा, भोगवटा मालिकाना हक के कुल भूखण्ड को दर्शाया गया है जिसमें मोडाराम का अपने बाप—दादा के समय से उक्त भूखण्ड पर कब्जा रहा है जिसमें मोडाराम के पिता भावाराम जी का रियासतकाल से कब्जा चला आ रहा है जिसमें उनके द्वारा कच्चा केलूपाश का मकान व बाडा बनाकर उपयोग व उपभोग किया जाता रहा है जिसमें अप्रार्थी भूरीबाई का परिवार परिवार, पशुधन सहित निवासरत है तथा उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी भूरीबाई के पुत्र मोडाराम का पिछले साठ साल से लगातार शान्तिपूर्वक निर्बाध एवं निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा उक्त पट्टा जारी करते समय मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी के उक्त भूखण्ड पर उसके पुश्तैनी कब्जेशुदा, भोगवटा मालिकाना हक के भूखण्ड पर 70 वर्ष से अधिक पुराने मकान और निर्माण का नाप जोख कर राजस्थान पंचायती राज के नियमों के प्रावधानुसार मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी के हक में पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा जारी उक्त पट्टे में वर्णित सीमांकन एवं दर्शित मानचित्र में किसी भी प्रकार की असमानताए नही है व ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में वर्णित सीमांकन, नाप एवं दर्शित मानचित्र सही एवं सत्य है। उक्त पट्टे के पृष्ठ भाग में मानचित्र द्वारा पट्टाधारक मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी की पुश्तैनी कब्जेशुदा, भोगवटा मालिकाना हक के कुल भूखण्ड को दर्शाया गया है जिसमें पट्टाधारक मोडाराम का अपने बाप—दादा के समय से उक्त भूखण्ड पर कब्जा व निवास रहा है। ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा उक्त पट्टा जारी करते समय मौके पर मोडाराम के पुश्तैनी कुल कब्जाशुदा, भोगवटा मालिकाना हक के सम्पूर्ण भूखण्ड़ का नापकर तथा उक्त भूखण्ड पर मौजुदा निर्माण का नापकर राजस्थान पंचायती राज नियमों के प्रावधानों के तहत अधिकतम क्षेत्रफल के अधीन नियम 157(1) प्रारूप 23 (क) के अन्तर्गत नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर पट्टा जारी किया है। पट्टा जारी होने के बाद पट्टाधारक मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी द्वारा उक्त पट्टे का विधिवत पंजीयन करवाया हुआ है जो उप पंजीयक कार्यालय, कालन्द्री में लेख पत्र संख्या 1220 दिनांक 09—9—2013 पर पंजीबद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 (भूरीबाई) के विद्वान अधिवक्ता ने जबाव में विशेष कथन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी तथा उसके दो भाईयों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 (भूरीबाई) के पडौसी जीवाराम पुत्र सोमतीजी रेबारी के पुश्तैनी कब्जेशुदा, भोगवटा मालिकाना हक के भूखण्ड पर अवैधरूप से पक्के मकान का निर्माण कर अवैध कब्जा किया गया है जिसको लेकर जीवाराम द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध पुलिस व कोर्ट में मुकदमा करवाया हुआ है तब मौके पर पुलिस द्वारा पुछताछ करने पर अप्रार्थी संख्या 1 (भूरीबाई) द्वारा सच बयान करने पर प्रार्थी निगरानीकार ने अप्रार्थी संख्या 1(भूरीबाई) से द्वेष रखता है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 (भूरीबाई) को हैरान परेशान करने की गरज से मिथ्या एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी आवेदन, अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त जीवाराम द्वारा प्रार्थी निगरानीकारके विरुद्ध प्रस्तुत वाद सिविल न्यायालय में लम्बित है, जिसमें माननीय सिविल न्यायालय द्वारा अस्थााई निषेधाज्ञा वादी जीवाराम के हक में जारी की है। ग्राम पंचायत द्वारा 2700 वर्गफीट का पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा पट्टे की

.......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही*

पुस्त में अंकित नजरी नक्शा अप्रार्थी के मकान एवं उसकी पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की सम्पूर्ण भूमि का बनाया गया है, लेकिन उक्त पट्टा केवल पुराने मकान का क्षेत्रफल 2660 वर्गफीट भूमि का ही जारी किया है। उक्त प्रश्नगत पट्टे के पुस्त पर अंकित नक्शा "Not for Scale" नही है, बल्कि मौके का नजरी नक्शा है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 07 दिनांक 20—01—2013 के अनुसरण में श्री मोडाराम पुत्र श्री भावाराम रेबारी, निवासी— वलदरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2660 वर्गफीट भूमि का पट्टा विलेख संख्या 95 दिनांक 08—8—2013 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23—क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः—

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल—

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 100/— रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों

के लिये— 200/— रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप—खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप—खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी।

प्रकरण में प्रार्थी निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौके पर दो पुराने केलुपोश आवास गृह निर्मित किये हुए हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफस् "परिशिष्ट—स" जिस पर मौके के फोटो चस्पा किये हुए है के शीर्षक में मौके पर 700 वर्गफीट मकान बना हुआ होना अंकित किया है, जबकि प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन में पद संख्या 3 (तीन) में 900 वर्गफीट भूमि पर मकान बना हुआ होना अंकित किया है, जो विरोधाभाषी कथन है। प्रार्थी निगरानीकार ने निगरानी आवेदन के साथ ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी, निवासी— वलदरा को क्षेत्रफल 2660 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी करने की दिनांक 08—8—2013 को मौके पर मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी का पुराना गृह बना हुआ नही हो, बल्कि प्रार्थी निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत फोटोग्राफस् के अनुसार मौके पर पुराने केलुपोश आवासीय गृह निर्मित है तथा ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 300 वर्गगज अर्थात् 2700 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी किया सकता है।

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थी निगरानीकार का यह भी कथन कि "प्रश्नगत पट्टे की पुस्त पर ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा जो नक्शा दर्शाया है, उसमें क्षेत्रफल 2660 वर्गफीट भूमि के अलावा अन्य भूमि को सम्मिलित कर नजरी नक्शें में दर्शाया है।" जबकि अप्रार्थी भूरीबाई का कथन यह है कि "प्रश्नगत पट्टे में अंकित नजरी नक्शें में आवासीय मकान के अलावा उसके आवासीय उपयोग की पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की भूमि दर्शाई गई है, लेकिन पट्टा क्षेत्रफल 2660 वर्गफीट का ही जारी हुआ है।" इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा मोडाराम पुत्र भावाराम जी रेबारी, निवासी— वलदरा के हक में केवल मात्र 2660 वर्गफीट भूमि का ही पट्टा जारी किया गया है तथा नजरी नक्शें में दर्शित शेष भूमि का कोई पट्टा जारी नही किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा पट्टे की पुस्त पर जो नक्शा बनाया है वह केवल मात्र नजरी नक्शा है जो "Not for Scale" नही है।

जहां तक, प्रार्थी निगरानीकार का यह कथन कि "ग्राम पंचायत, सरतरा द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टे में वर्णित सीमांकन, नाप एवं दर्शित मानचित्र में एकरूपता नही है व असामनताएं होना स्पष्ट परिलक्षित है।" इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त त्रृटि ग्राम पंचायत स्तर पर हुई जो सद्भाविक त्रृटि हो सकती है तथा इस त्रृटि को ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत स्तर पर मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार प्रश्नगत पट्टे में अंकित नजरी नक्शें व नाप में संशोधन किया जा सकता है। इस त्रृटि के आधार पर पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी निगरानीकार, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25 नवम्बर, 2025 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही